

सूचना

सर्व सज्जनों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जिला न्यायालय, बुलन्दशहर परिसर के टिकों की बोली दिनांक 04.07.2020 को दोपहर 01.30 बजे केन्द्रीय कक्ष, जिला न्यायालय, बुलन्दशहर में बोली जाये। इच्छुक व्यक्ति नियत समय एवं स्थान पर उपस्थित आकर बोली बोल सकते हैं। ठेका दिनांक 05.07.2020 31.03.2021 तक की अवधि तक रहेगा।

ठेका विवरण

1. पार्किंग स्टैण्ड
2. छोले भटूरे का ठेका
3. अन्य प्रकीर्ण (आलू की टिक्की व वेज बिरयानी)

ठेके की शर्तें।

1. बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति अपना पहचान-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. पार्किंग स्टैण्ड के लिए बोली बोलने वाले दंगे हैसियत प्रमाण-पत्र दाखिल करना होगा।
3. बोली बोलने से पूर्व सरकारी बोली का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करना होगा।
4. ठेका स्वीकार होने की दशा में ठेके की राशि का चौथाई भाग प्रतिभू के रूप में जमा करना होगा, ऐसा न क पर बोली बोलने की राशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी।
5. ठेके की पहली किश्त 05 जुलाई 2020, दूसरी किश्त 01 अक्टूबर 2020 व तीसरी किश्त 01 जनवरी 2021 को जमा करनी होगी।
6. ठेका लेने वाले को अपने व्यय पर जनरल स्टाम्प पर नियमानुसार अनुबन्ध करना होगा, 05 जुलाई 2020 तक अनुबन्ध न करने पर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और प्रतिभू की राशि बहक सरकार जब्त कर ली जायेगी।
7. कोई ठेकेदार अन्य व्यक्ति को ठेका अन्तर्गत नहीं करेगा।
8. किसी भी दुकान पर आपत्तिजनक वस्तु नहीं बेची जायेगी।
9. ठेका निर्धारित किये गये स्थान पर ही होगा।
10. कोई ठेकेदार स्थाई निर्माण नहीं करेगा।
11. ठेकेदार को विक्रय की जाने वाली वस्तुओं की मूल्य सूची लगानी होगी।
12. ठेके के स्थान पर उसके आस-पास ठेकेदार को पर्याप्त सफाई रखनी होगी।
13. पार्किंग स्टैण्ड को ठेकेदार सरकारी विभाग के वाहनों से वसूली नहीं करेगा।
14. जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना कारण बताये निरस्त कर दें।
15. जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर का यह अधिकार भी होगा कि वह किसी भी ठेके को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर दे।
16. ठेकेदारों को समय-समय पर जिला न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करना होगा।

(हरकेश कुमार)
अपर जनपद न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या- 01, बुलन्दशहर।
चैयरमैन नीलाम कमैटी

इस सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना पटों पर चस्पा कराया जायेः-

1. श्रीमान जिला न्यायाधीश, जनपद - बुलन्दशहर।
2. श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय, बुलन्दशहर।
3. श्रीमान कार्यालय नगर पालिका परिषद, बुलन्दशहर।
4. कार्यालय जिला परिषद, बुलन्दशहर।
5. जिला सूचना अधिकारी वास्ते दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
6. प्रतिलिपि, डी०एस०ए० को जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(हरकेश कुमार)
29/6/20

अपर जनपद न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या-01; बुलन्दशहर।
चैयरमैन नीलाम कमैटी